"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जून 2012—आषाढ़ 7, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2012

आदेश

क्रमांक 5270/21-ब/छ.ग./2012.—छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा श्री देवराज सिंह सुराना, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित त्याग पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं.

No. 5270/XXI-B/C.G./2012.—The Governor of Chhattisgarh is hereby pleased to accept the resignation tendered by Shri Deoraj Singh Surana, Advocate General, Chhattisgarh with immediate effect.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक 5272/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता, बिलासपुर को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के पद पर नियुक्त करते हैं.

No. 5272/21-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 165 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to appoint Shri Sanjay K. Agrawal, Advocate, Bilaspur as the Advocate General for the State of Chhattisgarh with effect from the date he assumes the charge of the office.

रायपुर, दिनांक 23 जून 2012

अधिसूचना

फा. क्र. 5276/1900/21-ब/छ.ग./2012.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में, पूर्व में जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुसूची में, कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उक्त सूची के अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम, पदनाम तथा स्थान	सिविल जिले का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री चन्द्र कुमार अजगले, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	कोरबा
2.	श्री सुधीर कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जशपुर

F. No. 5276/1900/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in departments previous Notification, relating to the entries mentioned in column No. (2), namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said notification, officers mentioned in column (2) are posted as Special Judge, at the

places mentioned in column (3) of the said Schedule, namely :—

S. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Name of Civil District (3)
1.	Shri Chandra Kumar Ajgalley, Additional Sessions Judge	Korba
2.	Shri Sudhir Kumar, Additional Sessions Judge	Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.